SHRI SANTOSH MOHAN DEV: Sir, after this Act has come, permission has to be taken before the plan is approved by the Chief Fire Officer. And after the building is completed, the Chief Fire Officer makes an inspection and he has to satisfy that all the Rules have been complied with, and only then permission is given. For new construction we are strictly following this. But these are the Buildings which were constructed before 1983.

MR. CHAIRMAN: Next Question: 83.

गुजरात की राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के संघ की मांगे

*83. **श्री मोर्जा इर्शादबेग** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा चलायी जा रही मिलों के तकनीशियनों और अधिकारियों के संघ द्वारा दिये गए ज्ञापन में अन्तर्विष्ट मुख्य मांगें क्या थीं ;

(ख) उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उपर्युक्त संघ की कथित मांगों को कब तक मान लिये जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

मिल तकनीशियन्स और आफीसर्स स्टाफ यूनियन (गुजरात) से प्राप्त दिनांक 18-8-87 के पत्र में दी गई मुख्य मांगें वेतन ग्रेडों में संशोधन करने तथा मिल कर्मचारियों और प्रधान कार्यालय के कर्मचारियों के बीच मकान किराया भत्ता तथा छुट्टी यात्रा रियायत, में समानता लाभ, सेवानिवृत्ति की आयु, औद्योगिक न्यायालय के निर्णय के अनुसार अन्तरिम राहत के भुगतान से संबधित हैं । एन० टी० सी० में इन मांगों पर विचार कर लिया है । मिल कर्मचारियों और प्रधान कार्यालयों के कर्मचारियों के बीच वेतन ग्रेडों, मकान किराया भत्ता तथा अंतरिम लाभ के अन्तर को इसलिए दूर नहीं किया जा सकता क्योंकि यह अन्तर सेवा शर्तों और भुगतान के आधार पर होता है । सेवानिवृत्ति की आयु तथा अन्तरिम राहत के भुगतान के मामले न्यायालय में लम्बित पड़े हुए हैं और इसलिए यह निर्णयाधीन हैं ।

श्री मोर्जा इर्शादबेग : सभापति महोदय, मन्त्री महोदय सक्षम हैं एन० टी०सी० में आ रहे घाटे को खत्म करने के लिए उन्होंने कारगर कदम भी उठाये हैं । लेकिन अभी भी कुछ अनियमितताएं कुछ क्षेत्रों में बाकी हैं । मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसमें उन्होंने कहा है :

Differences in the pay grades, House Rent Allowance and Fringe benefits between Mill Employees and the Head Office Employees cannot be removed as these are on account of the differences in the service conditions and basis of pay settlement.

जहां तक गुजरात एन०टी०सी० का सवाल है मैं यह कहना चाहूंगा कि किसी भी पब्लिक अंडरटेकिंग में गुजरात और नार्थ महाराष्ट्र को छोड़कर बाकी की जो 8 सबसिडरी युनिट्स हैं उसके जो पे-स्केल्स हैं, रुल्स हैं, वे अलग हैं । आफिस एक जगह पर बना हुआ है लेकिन उसके एम्पलाइज अगर हैड आफिस को बिलोंग करते हैं तो उसके पे स्केल्स अलग हैं और अगर वह ट्रांसफर हो कर मिल में चला जाता है तो पे स्केल बदल जाता है और फिर वापस हैड आफिस में आता है तो उसके पे-स्केल और पैरामीटर अलग हो जाते हैं । मेरा कहना यह है कि जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उन सब में एक ही यूनिफार्म पालिसी

होनी चाहिए । मैं यहां पर गुजरात एन०टी०सी० और नाथ महाराष्ट्र के सम्बन्ध में दो दृष्टांत देकर अपना उत्तर मांगना चाहूंगा । जहां तक गुजरात एन०टी०सी० यूनिट की बात है उसमें जो पे-स्केल्स और डी०ए० के नार्म्स हैं और एन०टी०सी० की मिल युनिट्स हैं उनके पे-स्केल्स और डी०ए० के नार्म्स में फर्क है । अगर मिल युनिट्स में 850 का ग्रेड है तो जो एन०टी०सी० का मुंबसिडरी हैड आफिस है उसमें 2200 तक है और पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के और सेन्ट्रल गवर्नमेंट के रुल हैं वे उन पर लागू हैं । मैं जानना चाहता हूं यह डिसपैरिटी क्यों है । इसी प्रकार जो एच०आर०ए० है वह उन पर 8 परसेंट है और हैड आफिस के लिए 25 परसेंट दिया जाता है । यह डिफरेंस क्यों है ? इसी तरह से मेडिकल फैसिलिटी का मामला है । जो मिल युनिट में बिलोंग रखते हैं जो यहां के टैक्नीशियंस हैं उनको 1000 रुपये मिलता है और हैड आफिस वाले को 1600 रुपये तक मिलता है । मैं जानना चाहूंगा कि यूनिफार्म पालिसी के बारे में आप क्या करने जा रहे हैं ? आप इस बारे में क्या आश्वासन देना चाहेंगे यह मैं जानना चाहूंगा ।

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमान्, माननीय सदस्य ने जो बात कही है एन०टी०सी० की जो विभिन्न संस्थाएं हैं उनमें तनख्वाह और एलाउंसेज इत्यादि में समानता नहीं है यह सही बात है । इसका मुख्य कारण यह है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जिस प्रकार से एन०टी०सी० के अन्तर्गत ये मिलें आती गयीं उसमें फर्क आता गया । मुख्य रूप से यह मतभेद है । आज स्थिति यह है कि केन्द्रीय सरकार ने एक बहुत बड़ी उच्च स्तरीय कमेटी का निर्माण किया हुआ है । चौथी पे कमीशन जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पर लागू नहीं होता है इसी को ध्यान में रखते हुए तनख्वाह आदि की सारी बातें इस उच्च स्तरीय कमेटी को सौंपी गयी है । सबसे विचार-विमर्श करके भारत सरकार को सिफारिश करने के लिए कहा गया है । चौथे पे कमीशन के बाद जो स्थिति बनी है उसको देखते हुए जो भी सरकारी संस्थान है उनमें क्या पे-स्केल आदि रहे इसके लिए उनसे कहा गया है । हम इंतजार कर रहे हैं उस रिपोर्ट का और उस रिपोर्ट के आने के बाद एन०सी०टी० की क्या करना है इस पर विचार करेगी ।

श्री मीर्जा इर्शादबेग : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय की इस बात से सन्तुष्ट हूं । उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो रिपोर्ट आयेगी उसको वह देख लेंगे । लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनको कर सकते हैं अभी तक हुई नहीं है । जैसे एज आफ सुपरनुएशन के बारे में है । एक ही जगह पर एक इंसान से यह कहा जाता है कि आपकी रिटायरमेंट ऐज 58 साल है और दूसरे दिन दूसरे सरकुलर में दूसरे को यह कहा जाता है कि आपकी 60 वर्ष है । यह मामला हम कोर्ट में ले गये हैं । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी बातें क्यों उठती हैं ? मैं गुजरात एन०टी०सी० के बारे में पूछना चाहूंगा कि मैं जिस यूनियन से सम्बध रखता हूं उस यूनियन के 95 परसेंट लोगों का हमारे से सीधा सम्बन्ध है । लेकिन ऐसे अधिकारी वहां पर बैठे हैं जो इस बात को सुनने को तैयार नहीं । तीन महीने हो गये हमने सी०एम०डी० से मिलने के लिए समय मांगा हुआ है लेकिन आज तक यह हम से मिल नहीं सके हैं । जो लास हो रहा है ,उसको वह चलाये रखना चाहते हैं । उनकी आवाज को लेबर अधिकारी वर्ग नहीं सुनेगा तो कैसे सुधार होगा । मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि वह सी०एम०डी० को हिदायत दें कि अगर वह एक महीने में नहीं मिल सकते कम से कम दो महीने में एक बार तो मिल लें तो हमारी कठिनाई यह है कि 90 परसेंट हमारी सदस्यता होने के बावजूद भी बोर्ड में हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है और न ही हमारी बात सुनी जा सकती है । जो घाटा

होता है उसको कैसे कम किया जा सकता है और कैसे टेक्नीशियन्स की बात मानी जा सकती है ? मैं आशा करता हूं कि आप न सिर्फ सी० एम० डी० को हिदायत देंगे कि वे हम लोगों से मिलें बल्कि बैठकर इन प्रश्नों को हल करें ।

श्री प्रमोद महाजन : जब आपका यह हाल है तो हमारा क्या होता होगा ?

श्री राम निवास मिर्धा : महोदय, माननीय सदस्य टेक्नीशियन अफसरों की जो यूनियन है, एसोसिएशन हैं, उसके अध्यक्ष हैं । कुछ महीने पूर्व मैं अहमदाबाद गया था तो माननीय सदस्य और उनकी यूनियन के जो पदाधिकारी हैं उनसे काफी विस्तार से बातचीत हुई थी । उसके पश्चात् माननीय सदस्य स्वयं हमारे एन.टी.सी होल्डिंग कम्पनी के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनसे मिले । पूरी कोशिश हो रही है कि जो मुद्दे उठाये गये हैं उनमें से कुछ न कुछ को विचार-विमर्श के बाद अवश्य हल किया जाये । माननीय सदस्य ने जो यह बात कही है कि सी.एम.डी. उनसे मिलते नहीं हैं, उसके संबंध में उनको आदेश दिया जाएगा कि वे उनसे मिलें ही नहीं, बल्कि मिलने के पश्चात समस्याओं का कोई व्यावहारिक हल भी निकालें ।

SHRI A. G KULKARNI: I wanted to bring to the notice of the hon. Minister what my colleague has brought out that there are no uniform rules and regulations in regard to the sick textile mills, their employees, their technicians and their officials cadre. May I request the Government to have a common code in this respect? Common guidelines should be issued to various sick textile holdings whether the Gujarat or Maharashtra or Tamil Nadu or UP. Otherwise, this creates problems everywhere.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: Sir, the textile industry whether in the private sector or the public sector is governed by what we call the industry-cum-region arrangement. There is no uniformity all over the country in this respect. But, historically, the situation is that a particular industry in a particular area, even the textile industry in a certain region is governed by certain arrangements. So, there is no intention that the NTC should get out of this arrangement. The present arrangement is pretty satisfastory and we will see that on industry-cum-region basis, all issues are sorted out to the satisfaction of everybody.

SHRI V. NARAYANASAMY: Mr. Chairman, Sir, Labour-management relationship maintained by the NTC is mainly responsible for strikes and lock-outs in the NTC mills. We have been seeing that the NTC is running at a loss every day. Even the transfer policy which is adopted by them is on the basis of victimisation of the worker. Therefore, I would like to know from the hon. Minister as to what strategy they are adopting for the purpose of transferring the technicians and the low grade officers, a policy which have been accepted by the unions and the management.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: Sir, I am not clear as to what policy of transfers the hon. Member has in mind. In NTC, there is no all-India service. So, there is no question of being transferred from one subsidiary to another. All the subsidiaries have their own rules and regulations. The management and the labour consult each other. There are management committees. They are gradually implementing the participation of labour in management at all levels, and we will see that everything is sorted out after mutual consultation.

MR. CHAIRMAN: Question No. 84.